सी.आई.टी.यू. द्वारा दमन और गुण्डागर्दी का सामना

सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स का

तृतीय वार्षिक सम्मेलन

२१ से २५ मई, १९७५ तक

सन्मुखानंद हाल, बम्बई

मूल्य : ४० पैसे

एम० के० पन्धे द्वारा सेन्टर आफ इन्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिए
१७२, लेनिन सरणी, कलकत्ता-७०००१२ से प्रकाशित तथा
प्रोग्रेसिव प्रिन्टर्स, १, लारेंस रोड, दिल्ली-३५ से मुद्रित

अप्रैल १९७३ में एर्नाकुलम में हुए सी०आई०टी०यू० के सम्मेलन के बाद से लेकर आज तक काँग्रेसी गुण्डों ने ३० से भी अधिक सी०आई०टी०यू० के नेताओं की हत्या की है तथा बड़ी संख्या में सी०आई०टी०यू० यूनियनों पर जबरन कब्जा किया है। बगैर मुकदमा चलाए सी०आई०टी०यू० के अनेक कार्यकर्ताओं को मीसा एवं डी०आई०आर० के अन्तर्गत नजरबन्द कर रखा है। इन्हीं समाज विरोधी तत्वों ने सैकड़ों कारखानों एवं दफ्तरों में ट्रेड यूनियन के स्वाभाविक काम-काज को असम्भव बना दिया है, बड़ी संख्या में मजदूरों को काम पर जाने से रोका है और उन्हें घर छोड़ने को भी मजबूर कर दिया है।

पश्चिम बंगाल :

१९७२ में धाँधलीपूर्ण चुनाव के बाद कांग्रेस के हथियारबन्द गुण्डों एवं सरकार के दमन-यंत्र ने पश्चिम बंगाल की जनता को हथियारबन्द आक्रमण सहित दमन के सभी तरीकों से दबाने की कोशिश की है। शासक कांग्रेस, पुलिस एवं प्रशासन की सहायता एवं प्रोत्साहन पाकर इन सशस्त्र गुण्डों ने हत्याएँ एवं लूट-पाट की, सी०आई०टी०यू० एवं अन्य वामपंथी ट्रेड यूनियनों के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं पर घातक हमले किए, मजदूरों को आतंकित किया तथा यूनियनों पर जबरन कब्जा किया।

कलकत्ता में वेस्टिंग हाउस सैक्सबी फार्मर, कलकत्ता राज्य परिवहन, बंगाल इनामेल के मजदूर एवं कर्मचारी एवं कल्याणी में कल्याणी स्पिनिंग मिल की मजदूरिनों को भी काम पर जाने से रोका जा रहा था। पर जब ये उच्च न्यायालय से आदेश पाकर वापस काम पर गए तो व्यवस्थापकों, पुलिस एवं प्रशासकीय

अफसरों के सामने ही इनको कारखानों के भीतर एवं बाहर बर्बरता-पूर्ण ढंग से पीटा गया। यद्यपि ये मजदूर राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं के ही कर्मचारी थे, मगर उच्च न्यायालय के आदेश—जो पुलिस एवं सरकार को इन मजदूरों की रक्षा के लिए था—की बेशर्मी के साथ उपेक्षा की गई। नतीजतन काम पर जाने से जबर्दस्ती रोके जाने वाले इन मजदूरों को अपने काम से हाथ धोना पड़ा।

इसी तरह सुरक्षा मंत्रालय के अधीन कार्टर पूलर एण्ड कम्पनी के कुछ मजदूरों को जबर्दस्ती खदेड़ दिया गया था। सी०आई०टी० यू० पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष ने इन मजदूरों की सुरक्षा की मांग करते हुए केन्द्रीय राज्य रक्षा मंत्री को एक पत्र लिखा। पत्र के उत्तर में मंत्री ने लिखा कि वहां के अधिकारी समझते हैं कि यदि इनमें से कोई भी मजदूर कारखाने में जाता है तो कांग्रेस यूनियन के सदस्यों द्वारा पीटा जायगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बहाना किया कि ये मजदूर खुद भी इस कारखाने में काम करने पर जोर नहीं दे रहे हैं।

सरकार के इस गैर जिम्मेदाराना रुख का उस समय सबूत मिला, जब ३० सितम्बर १९७४ को हुई राज्य श्रम सलाहकार समिति की बैठक में इस मामले को उठाया गया। बैठक में सी० आई० टी० यू० एवं अन्य वामपंथी ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि ३०० से भी अधिक सी०आई०टी०यू० की यूनियन अपनी गतिविधियां स्थगित करने को बाध्य कर दी गई हैं, विभिन्न कारखानों के करीब ४००० मजदूरों पर सशस्त्र गुण्डों ने हमला किया, ट्रेड यूनियन नेता एवं कार्यकर्त्ता घर छोड़ देने को विवश कर दिए गए हैं। इस पर पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री ने कहा कि वह कार्यवाही करेंगे। लेकिन इस सम्बंध में आज तक भी कोई कदम नहीं उठाया गया है।

दुर्गापुर में सुनियोजित क्रूरता एवं प्रतिशोध की भावना के साथ अर्द्धफासिस्ट आतंक ढाया गया। १९७० से अब तक १८ सी०आई०टी०यू० कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। गुण्डों के आक्रमण के कारण स्टील प्लांट एवं एलाय स्टील प्लांट में सी०आई० टी०यू० यूनियन अपना आफिस नहीं खोल सकती है। सी०आई० टी०यू०की जुलूसों एवं सभाओं पर आक्रमण किये गए, तथा बड़ी

संख्या में मजदूरों को पीटा गया है। स्थानीय पुलिस थाने को काँग्रेसी गुण्डों के कैम्प में बदल दिया गया है एवं सी०आई०टी०यू० कार्यकर्त्ताओं के हत्यारों की पुलिस के अफसरों के साथ खुल्लमखुल्ला सांठगांठ है।

ठेके पर काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों की छंटाई कर उनकी जगह पर बाहर से समाज-विरोधी तत्वों को बुलाकर प्लांट में उन्हें नियुक्त किया गया है। इन काँग्रेसी गुण्डों की नियुक्ति में सभी नियमों को ताक पर उठा कर रख दिया गया है।

कांग्रेसी गुण्डों द्वारा सी०आई०टी०यू० कर्मियों पर घातक हमले अभी भी बेहिचक जारी हैं। मार्च १९७३ में हिन्दुस्थान स्टील प्लांट इम्पलाईज यूनियन की एलाय स्टील प्लाँट यूनियन की कार्यकारिणी के सदस्य बिमल चौधरी की छुरा भोंक कर हत्या कर दी गई। २१ अप्रैल १९७३ को दुर्गापुर प्रोजेक्ट के प्रमुख सी०आई०टी०यू० कर्मी विश्वनाथ घोष की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। मई १९७३ में एलाय स्टील प्लांट के एक मजदूर भवतारान अधिकारी की भी हत्या कर दी गई। सी०आई०टी०यू० का अन्य कर्मी, जो स्टील प्लांट का मजदूर था, को भी युवा काँग्रेस के गुण्डा तत्वों ने छुरा घोंपा। जुलाई १९७३ में एक सी०आई०टी०यू० कर्मी की हत्या गुण्डों ने की एवं एक अन्य मजदूर एल०एन० सरकार को उनके क्वार्टर से बाहर घसीट कर पीटा गया। अक्तूबर १९७३ में एक सक्रिय कर्मी सुनील आचार्य की उनकी पुस्तक की दुकान के सामने ही दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। नवम्बर १९७३ में हिन्दुस्थान स्टील इम्पलाईज यूनियन के नेता रंजन विश्वास को गोली से मार दिया गया तथा यूनियन कौंसिल सदस्य एच० एन० चक्रवर्ती तथा यूनियन के एक अन्य सदस्य बी० सो० देवनाथ को बुरी तरह पीटा गया। कांग्रेस गुण्डों ने का० देवनाथ की हत्या के इरादे से उनका अपहरण तक कर लिया। ६ मई १९७४ को एलाय स्टील के एक कर्मचारी एवं एच०एस०ई०यू० के सक्रिय कार्यकर्त्ता अजीत दे को उनके क्वार्टर से घसीट बाहर किया और उनकी नृशंस हत्या की। इसके पूर्व २१ फरवरी १९७३ को काँग्रेसी गुण्डों ने हिन्दुस्थान स्टील एम्पलाईज यूनियन के चार नेताओं पर सैनिक हथगोले फेंक कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इनमें से एक, कन्हाई बनर्जी को अस्पताल ले जाना पड़ा एवं उनका आपरेशन करना पड़ा।

पिछली जनवरी हिन्दुस्थान स्टील एम्पलाईज यूनिनय को, मैनेजमैंट द्वारा स्वीकृत यूनियन होने के बावजूद शहर में अपना वार्षिक सम्मेलन करने की अनुमति नहीं दी गई। अन्तिम घड़ी में पुलिस ने अनुमति वापस ले ली एवं यूनियन को शहर के बाहर सम्मेलन की व्यवस्था करनी पड़ी। इस पर भी सशस्त्र गुण्डों ने सम्मेलन की तैयारी में व्यस्त एच०ई०यू० के तीन कर्मियों को छुरे से घायल कर दिया।

रानीगंज में भी सी०आई०टी०यू० के कर्मियों एवं नेताओं को इसी प्रकार के आक्रमण एवं दमन चक्र का सामना करना पड़ रहा है। फरवरी १९७३ से सी०आई०टी०यू० कर्मियों पर आक्रमण, सामूहिक गिरफ्तारी एवं उनकी सुनियोजित हत्याएं रोजमर्रा की घटना व आम बात हो गई है। बंगाल पेपर मिल रेफ्रेक्टरी एवं सिरमिक फैक्टरी आफ बर्न एण्ड कं०, जे० के० नगर अल्युमिनियम फैक्टरी एवं अन्य औद्योगिक इकाइयों के मजदूरों को पुलिस के आतंक एवं गुन्डों के आक्रमण का दिन-रात सामना करना पड़ रहा है। सी०आई०टी०यू० कर्मियों पर हमले दिन-ब-दिन तेज हो रहे हैं। सी०आई०टी०यू० की जनरल कौंसिल के सदस्य का० हाराधन राय एवं बंगाल पेपर मिल मजदूर यूनियन के महामंत्री विकास चौधरी सहित ११५ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर आदिवासी मजदूरों के १५ घरों को जला दिया गया है एवं यूनियन आफिस को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया है। पास के ग्रामीणों, जो सी० आई०टी०यू० के समर्थक हैं, तक को नहीं छोड़ा गया। सी०आई० टी०यू० यूनियन आफिस को जबरन दखल किया एवं गुण्डों से बनी एक दलाल इंटक यूनियन वहीं खड़ी की गई।

सी०आई०टी०यू० के स्थानीय नेता का० कैलाश हजाम की हत्या के पश्चात् कांग्रेसी गुण्डों ने बंगाल पेपर मिल के मज़दूरों पर भयानक आक्रमण शुरू किया। १६ नवंबर, १९७३ को आठ मज़दूरों को छुरा मार दिया गया, जिन में से तीन की मृत्यु हो गई। पुलिस ने हत्यारे गुन्डों को गिरफ्तार करने के बजाय मज़दूरों को गिरफ्तार करना एवं पीटना शुरू कर दिया। पुलिस और गुन्डों ने मज़दूरों के घरों पर हमला किया, घर के सभी लोगों को पीटा, औरतों तक को नहीं छोड़ा एवं घर का सब कुछ लूट लिया। इस घटना का लाभ उठा कर व्यवस्थापकों ने तालेबन्दी की घोषणा कर दी। इसके पूर्व जून १९७३ में बंगाल पेपर मिल के एक मजदूर बाबूलाल यादव की हत्या

के बाद पुलिस और गुण्डों ने मजदूरों के घरों पर इसी तरह का हमला किया था। कारखाने के भीतर भी मजदूरों पर हमला किया गया था, इतने पर भी मजदूरों को दबाना संभव नहीं हुआ तो स्थानीय पुलिस ने स्वयं सीधे हमला करना शुरू किया। बड़े पैमाने पर मजदूरों को गिरफ्तार किया गया एवं उनके विरुद्ध झूठे मुकदमे खड़े किये गये। यूनियन के कुछ कार्यकर्त्ताओं समेत २२ मजदूरों को मीसा के तहत गिरफ्तार किया गया। प्रमुख स्थानीय कार्यकर्त्ताओं सहित अनेक मजदूर, हत्या एवं गिरफ्तारी के भय से काम पर जाने अथवा कारखाने तक आने में भी असमर्थ रहे। बंगाल पेपर मिल बर्न, एवं जे० के० अल्युमिनियम के मैनेजमेंट ने खुल कर इन हमलों को बढ़ावा दिया और कारखाने के भीतर मजदूरों को आतंकित करने के लिए बड़ी संख्या में समाज-विरोधी तत्वों को काम पर लगाया।

२७ जुलाई १९७३ की सफल आम हड़ताल के बाद तो ये हमले और तेज कर दिए गए और इसके पश्चात् पुलिस ने सीधा हमला शुरू किया है एवं यूनियन आफिस में आने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। नतीजतन यूनियन का काम करना असंभव हो गया है। अक्टूबर १९७३ में रानीखेत में एक समाज-विरोधी की हत्या के बाद हाराधन राय एवं अन्य अनेक यूनियन नेताओं के साथ करीब २०० मजदूरों को गिरफ्तार किया गया एवं उन्हें हत्या के मुकदमे में फँसा दिया गया। इसके पश्चात् ही मजदूरों के घरों पर हमले हुए। उन्हें पीटा गया एवं और भी गिरफ्तारियाँ हुईं। १८ अक्टूबर १९७३ को मनोरंजन चटर्जी एवं अन्य चार कार्यकर्ताओं को बंगाल पेपर मिल मजदूर यूनियन आफिस से गिरफ्तार किया गया। पुनः ४ नवंबर को सुकुमार बाज एवं लक्ष्मी नारायन मुखर्जी को यूनियन आफिस से गिरफ्तार किया गया। १८ नवंबर को जमानत मंजूर हो जाने के बाद ४ मजदूरों को पुनः बंदी बनाया गया जिसमें से दो को मीसा दिया गया। २६ नवंबर १९७३ को बंगाल पेपर मिल के भीतर सी० आई० टी० यू० कार्यकर्ताओं पर गुन्डों ने बर्बर हमला किया। रबीन सेन, मंसूर अली, निखिल बसु, रावणेश्वर गड़ाई कालीपद गोप, विश्वनाथ दत्त एवं अन्य अनेक कार्यकर्ताओं पर छुरे चलाए गए व गम्भीर रूप से जख्मी किए गए। इनमें रबीन सेन, मंसूर अली एवं निखिल बसु की अस्पताल में घातक जख्मों की वजह से मृत्यु हो गई। यह हमला दो दिनों तक जारी रहा। नारायन गड़ई के घर को पूरी तरह जला दिया गया एवं सी० आई० टी० यू० के १५

मजदूरों को गिरफ्तार किया गया। मार्च १९७४ में बंगाल पेपर मिल के कर्मचारी एवं सी० आई० टी० यू० के सक्रिय कार्यकर्ता मिलन मुखर्जी को छुरे के वार से मार डाला गया एवं सात अन्य मजदूर बुरी तरह घायल हुए।

मैनेजमेंट एवं कांग्रेस द्वारा नियुक्त ये गुन्डे पश्चिम बंगाल में कोयले की खान के इलाकों में काफी लूटमार मचा रहे हैं। दिसम्बर १९७३ में मज़दूर जब अपनी मांगों के लिए लगातार हड़ताल पर डटे थे, तो पुलिस ने रानीगंज के लोवर केन्द्र कोलियरी के ७० ढुलाई मज़दूरों को गिरफ्तार किया। फरवरी १९७४ में जब श्रीपुर कोलियरी के ४०० मज़दूर कोल खदान आथरिटी के दफ्तर के सामने सी० आई० टी० यू० यूनियन के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे थे तब मैनेजमेंट के भाड़े के गुन्डों ने पुलिस की छत्रछाया में मजदूरों पर सशस्त्र आक्रमण किया ।१५० मजदूर घायल हुए एवं गुन्डों ने मजदूरों के घरों पर हमले किए। इन हमलों के चलते हजारों मजदूरों को अपना काम एवं घर छोड़ना पड़ रहा है।

इसी दौरान पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग एवं जलपाईगुड़ी जिले के चाय बागान मजदूरों पर इसी प्रकार के आक्रमण हुए हैं। २ अप्रैल १९७३ को दार्जिलिंग के लिंगिया टी ईस्टेट के सी० आई० टी० यू० यूनियन के नेता पर, घर वापस लौटते समय हमला हुआ और उन्हें बुरी तरह पीटा गया। जब बगीचे के मजदूर प्रतिवाद में बाहर आये तो पुलिस ने ५ महिलाओं समेत ७० लोगों को गिरफ्तार किया। पुनः १९७३ में चेगमारी टी ईस्टेट के दो सी० आई० टी० यू० कार्यकर्ता प्रेसिंग तमोंग एवं मैनुएल होरो का दिन दहाड़े खून हुआ। १९७४ में युवक कांग्रेस के सदस्यों ने लीजा हिल टी ईस्टेट के सी०आई०टी०यू० नेता खड़ग बहादुर एवं एक कर्मी दीपक राय की हत्या कर दी।

उत्तर पाड़ा में बिड़ला के हिन्द मोटर कारखाने एवं बेलधरिया में टैक्समेको कारखाने के मजदूरों को बार-बार हमले का सामना करना पड़ा। १७ जून १९७३ को इंटक गुण्डों ने हिन्द मोटर वर्कर्स यूनियन (सी० आई० टी० यू०) के दफ्तर को तहस-नहस कर दिया एवं यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष के घर पर हमला किया। इसके पूर्व फरवरी १९७३ में बम आदि के साथ मजदूरों पर नृशंस हमला किया गया। मजदूरों की रक्षा के बजाय पुलिस ने उन पर गोली वर्षा की एवं ३५ मजदूरों को बंदी बनाया। जनवरी १९७३ में

गणतंत्र दिवस के दिन टैक्समेको के सी० आई० टी० यू० कार्यकर्त्ता निमाई चटर्जी का अपहरण किया गया एवं उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। दिसंबर १९७३ में एक और मजदूर की छुरे से हत्या कर दी गयी। इसी वर्ष १६ एवं १७ दिसम्बर को टैक्समेको के तीन मजदूरों पर छुरे से प्रहार हुआ। १७ नवंबर १९७३ की सफल आम हड़ताल के बाद हड़ताल में हिस्सा लेने एवं कांग्रेस यूनियन को चन्दा देने से इन्कार करने की वजह से टैक्समेको मजदूरों पर क्रूर हमला हुआ। पुनः दिसंबर १९७४ में जब मजदूरों ने जबरन चन्दा वसूली का विरोध किया, तो उन पर आक्रमण हुआ एवं एक पर छुरे का वार किया गया। २७ जुलाई १९७३ को राज्य स्तरीय आम हड़ताल के दिन खिदिरपुर में डक श्रमिक एसोशियशन एवं पोर्ट और शोर मजदूर यूनियन सहित अनेक सी०आई०टी०यू० यूनियनों के दफ्तरों पर पुलिस के संरक्षण में सशस्त्र गुन्डों ने हमला किया अगले दिन हावड़ा स्थित रेमिंगटन रैन्ड के एक मजदूर राजेन कुन्डु की ह त्या कर दी गई।

१९७२ से कलकत्ता के जय इंजीनियरिंग वर्क्स के मजदूरों पर बारंबार हमले हुए। दिसंबर १९७३ में इसी कारखाने के सी० आई० टी० यू० कर्मी त्रिनाथ लंका का कांग्रेसी समाज-विरोधियों ने अप-हरण किया एवं छुरे से घायल कर दिया। ठीक यही घटना १२ दिसंबर १९७४ को जय इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन के एक अन्य कर्मी के साथ घटी। १ जनवरी १९७५ को दो और मजदूरों को निर्द-यता से पीटा गया।

जनवरी १९७३ में सी० आई० टी० यू० के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे रिक्शा मजदूरों पर पुलिस ने लाठी एवं अश्रु गैस से हमला किया। २० मजदूर बुरी तरह घायल हुये। जून १९७३ में कार-खाने जा रहे कल्याणी स्पिनिंग मिल्स के मजदूरों पर सशस्त्र गुन्डों ने प्रहार किया। १२ दिसम्बर १९७३ को रिषड़ा के जे०के० स्टील वर्क्स के मजदूर जब प्रदर्शन कर रहे थे तब पुलिस ने नृशंस लाठीचार्ज किया जिससे अनेक मजदूर घायल हुए। एन०एल०सी०सी० जिसका नेतृत्व कांग्रेस का एक गुट करता है के सशस्त्र गुण्डों का लिप्टन मजदूर यूनियन (सी०आई०टी०यू०) पर हमला अभी भी जारी है। पुलिस ने कई सी०आई०टी०यू० कार्यकर्ताओं के नाम गिरफ़्तारी का परवाना जारी किया है एवं मैनेजमैंट ने सी०आई०टी०यू० के अनेक कर्मियों को मुअत्तिल कर दिया है। १५ अक्तूबर १९७३ को

खिदिरपुर में ब्रेचवेट एन्ड कं० के सी०आई०टी०यू० नेताओं पर गुण्डों ने हमला किया।

हमला अभी भी जारी है। १ नवंबर १९७४ को सी०आई० टी०यू० कार्यकारिणी के एक सदस्य का० शान्ति घटक पर एक सभा को जाते समय गुण्डों ने हमला किया। जनवरी १९७५ में हल्दिया बन्दरगाह से माल उतार रहे सी०आई०टी०यू० समर्थक मजदूरों पर हमला हुआ। जनवरी-फरवरी १९७५ में जूट हड़ताल के दौरान पुलिस ने १४४ धारा लागू कर मजदूरों की एक सभा, जिसमें कामरेड ज्योति बसु प्रधान वक्ता थे, नहीं होने दी एवं मजदूरों द्वारा तैयार किये गए स्वागत तोरणों को कांग्रेसी गुण्डों ने तोड़ डाला।

केरल

पश्चिम बंगाल के पश्चात शासक वर्ग ने केरल में भी अर्द्धफासिस्ट आतंक का वही रवैया अपनाया है। इस आतंक का उद्देश्य मजदूर आन्दोलन, खासकर सी०आई०टी०यू० द्वारा संचालित आन्दोलन का दमन करना है।

३१ जनवरी १९७४ को मंगलम् रबर स्टेट के एक सी०आई० टी०यू० कर्मी तथा वर्क यूनियन के अध्यक्ष का० एम० एन० भास्करन की छुरे के वार से हत्या कर दी गई। १८ मार्च १९७४ को दो सी०आई०टी०यू० कर्मियों का० बशीर एवं चेकाप्पन को पुलिस ने निर्दयता से पीटा। उन्हें लातों से मारा गया सड़क पर घसीट कर पुलिस गाड़ी तक लाया गया जहां उन्हें लगातार पीटा गया। १६ जुलाई १९७४ को ग्वालियर रेयन्स के मजदूरों ने जब एक दिन की हड़ताल की, तो छः मजदूरों को मुअत्तिल कर दिया गया। पुलिस को बुलाकर मजदूरों का दमन किया एवं अंत में तालेबंदी घोषित कर दी गई।

अगस्त १९७५ में राज्य सी०आई०टी०यू० के अध्यक्ष का० सी० कान्नन को बाहर घसीट कर पुलिस ने बुरी तरह पीटा। २३ सितंबर १९७४ को राज्य सी० आई० टी० यू० के संयुक्त सचिव का० ओ० वी० भारतन पर भी पुलिस ने प्रहार किया। इस महीने कन्नोनोर जिला समिति, सी० आई० टी० यू० के सदस्य पर पुलिस ने निर्दयतापूर्वक प्रहार किया।

महाराष्ट्र

इस राज्य में मजदूरों के ट्रेड यूनियनों एवं जनवादी अधिकारों पर पुरजोर हमला जारी है। नवंबर १९७३ से हड़ताल कर रहे ब्लो प्लास्ट लिमिटेड, बंबई के मजदूरों को पुलिस ने जनवरी १९७४ में निर्दयता से लाठियों से पीटा। मजदूरिनें तक इस हमले में न बच पाईं। जनवरी १९७४ में थाना के जे० के० केमिकल्स के मजदूरों को एक महीने तक कांग्रेस एवं इन्टक के गुण्डों के अर्द्ध-फासिस्ट हमले का सामना करना पड़ा। वे सी० आई० टी० यू० के नेतृत्व में तीन हटाये गए मजदूरों की पुनर्बहाली के लिए संघर्षरत थे। जब इन तीन मजदूरों को काम पर वापसले लिया गया, तो इन्टक यूनियन जो अल्पमत में है, ने इन मजदूरों को बर्खास्त किये जाने की मांग पर हड़ताल कर दी। इसका लाभ उठाकर मैनेजमेंट ने तालेबंदी की घोषणा कर दी। १० मार्च १९७४ को गुण्डों ने सी० आई० टी० यू० नेता बृजनाथ सिंह के घर पर हमला किया। घर में उन्हें न पाकर उन लोगों ने एक अन्य सी० आई० टी० यू० कर्मी तिलकधारी पर हमला किया एवं उनकी नृशंस हत्या कर दी। तिलकधारी के भाई बुरी तरह घायल हुए। अप्रैल १९७४ में राज्य सी० आई० टी० यू० के एक सचिव का० एस. एफ. एक्स. पेरियरा एवं का० वशीर को कैलिको केमिकल के मजदूरों के हड़ताल के सिलसिले में पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन्हें जमानत तक नहीं दी गई। रेलवे हड़ताल के दौरान सी० आई० टी० यू० समर्थक अनेक मजदूरों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। मगर मजदूरों को आतंकित करने की पुलिस की तरकीबें बुरी तरह असफल हुई हैं।

राजस्थान

सी० आई० टी० यू० इस राज्य का सर्वाधिक संगठित एवं जुझारू ट्रेड यूनियन केन्द्र है। फलतः शासक वर्ग इस पर व्यापक एवं नृशंस दमन चक्र चला रहे हैं। जून १९७४ में सी० आई० टी० यू० के साधारण सचिव का० दुर्गादास शिराली तथा संयुक्य सचिव का० पी० हान्डा को इंजीनियरिंग मजदूरों के राज्य-व्यापी हड़ताल के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया था। जुलाई १९७४ में वीवाड़ के सूती कल के मजदूर सी० आई० टी० यू० यूनियन के नेतृत्व में हड़ताल पर थे। मिल व्यवस्थापकों तथा पुलिस से उकसावा पाकर समाज-विरोधी तत्वों ने भूख हड़ताल कर

रहे मजदूरों के कैम्प को आग लगा दी एवं यूनियन आफिस पर आक्रमण किया। यूनियन के सभापति तथा कार्यकारिणी के अनेक सदस्यों सहित ३० से भी अधिक सस्दयों कोबुरी तरह पीटा गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने २५ मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया एवं उनके विरुद्ध झूठे मुकदमे दायर किए। एडवर्ड एवं बक्सीर मिल के व्यवस्थापकों ने भी अनेक मजदूरों को बर्खास्त कर दिया।

राज्य सरकार द्वारा लादे गए नृशंस दमन के विरुद्ध २४ जनवरी १९७४ को राज्यव्यापी सफल आम हड़ताल आयोजित की गई थी। इस दिन जयपुर में मजदूरों की एक सभा में भाषण देते समय राज्य सी० आई० टी० यू० के अध्यक्ष का० मोहन पुनामिया को बंदी बना लिया गया था। अन्य अनेक ट्रेड यूनियन नेता भी गिरफ्तार हुए थे।

११ अगस्त १९७४ को भरतपुर स्थित बिड़ला के सिमको कारखाने के तीन मजदूर—गणपत सिंह, विजय सिंह एवं किशनलाल वर्मा—पुलिस की गोली से मारे गए। उस समय मजदूर सरकार के वेतन जाम के कदमों के कारण वेतन में हुई कटौती के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे।

२ मार्च १९७४ को कोटा में जे० के० सिंथेटिक्स के मजदूर वामपंथी दलों की पुकार पर होने वाली एक दिन की हड़ताल के सिलसिले में जब कारखाने के बाहर एक सभा कर रहे थे, तब सशस्त्र गुण्डों ने उन पर हमला किया। मजदूरों ने वीरता से मुकाबला किया एवं गुण्डे खदेड़ दिए गए, पर इस झगड़े के दौरान गुण्डों का सरदार घायल हुआ एवं बाद में उसकी मृत्यु हो गई। गुण्डों के विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाय मैनेजमेंन्ट एवं सरकार ने मजदूरों के विरुद्ध हत्या का मामला दायर किया। जनवरी १९७५ में सी० आई० टी० यू० यूनियन के साधारण सचिव, कार्यकारिणी के अनेक सदस्यों सहित सात महत्वपूर्ण कर्मियों को सेशन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी। राजस्थान में सी० आई० टी० यू० के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिये यह एक सुनियोजित आक्रमण है।

उड़ीसा

जनता से अलगाव एवं मजदूर वर्ग के संघर्षों की उठती लहरों का सामना करने के लिए उड़ीसा में भी शासक वर्ग पश्चिम

बंगाल के नक्शेकदम पर चलता हुआ अर्द्धफासिस्ट तरीकों को तेजी से अपना रहा है। ११ सितंबर १९७३ को प्लांट सीक्युरिटी फोर्स की मदद से सशस्त्र कांग्रेसी गुण्डों ने फेरोक्रोम प्रोजेक्ट के मजदूरों पर हमला किया। उस समय वे कर्मचारियों की हड़ताल के समर्थन में सभा कर रहे थे। सभा में जाने को इच्छुक मजदूरों को गुण्डों ने जबरन रोका, सी० आई० टी० यू० से संबद्ध मजदूरों को पीटा एवं उन्हें सी० आई० टी० यू० छोड़ने को बाध्य किया। उन लोगों ने अन्य अनेकों को क्वार्टरों से मार भगाया एवं सी० आई० टी० यू० यूनियन दफ्तर को लूट लिया। १०० से अधिक मजदूर बुरी तरह आहत हुए थे।

दिसम्बर १९७४ में राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित समाज विरोधी तत्वों ने सी० आई० टी० यू० की राज्य समिति के दफ्तर को आग लगा दी। कुछ सी० आई० टी० यू० कार्यकर्ता जो दफ्तर के भीतर सो रहे थे, निश्चित मृत्यु के मुख से किसी प्रकार बच निकले। दफ्तर के सब सामान एवं कागजात जलकर राख हो गए एवं ट्रेड यूनियन के कामों में गम्भीर असुविधाएं हुईं।

बिहार

अप्रैल १९७३ में विधायक सूरज नारायण सिंह, जो जाने-माने मजदूर नेता एवं सी० आई० टी० यू० के एक सक्रिय समर्थक थे, जब मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में रांची में भूख हड़ताल पर थे, पुलिस की गोली से मारे गए। जून १९७३ बशैरा में कस्टोडियन के दफ्तर के सामने कोलियरी मजदूर सभा (सी० आई० टी० यू०) के नेतृत्व में कोयला खान के मजदूर जब का० सूरज नारायण सिंह की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तब पुलिस ने उन पर बर्बर लाठी-वर्षा की एवं कई मजदूर घायल हो गये। ३ अक्तूबर १९७४ को बिहार राज्य सी० आई० टी०यू० के सचिव का० चण्डी प्रसाद को मीसा के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया।

अप्रैल १९७३ में बरसुआ कोयला खदान के तीन मजदूरों की गुण्डों ने दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी। गुण्डे जीप व कार में सवार थे। उन्होंने सी०आई०टी०यू० के झण्डों को फाड़डाला तथा मजदूरों के घरों पर गोली चलानी शुरू कर दी। तीन मजदूर घटना स्थल परही मारे गए और १७ गम्भीर रूप से घायल हुए।

बिहार की लियरी कामगार यूनियन को मैनेजमेंट एवं इंटक यूनियन के भाड़े के गुण्डों के हमले का सामना करना पड़ा।

राष्ट्रीयकरण के बाद भी सामूहिक आतंक, बस्तियों से मजदूरों को भगाना तथा उनकी जगह समाज विरोधी सशस्त्र गुण्डों की नियुक्ति पहले की तरह जारी है। कई अवसरों पर सी० आई० टी० यू० जनरल कौंसिल के सदस्य का० ए० के० नाथ राय अन्य अनेक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया एवं फौजदारी मामलों में फ़ँसा दिया।

उत्तर प्रदेश

इंडियन, एक्सप्लोजिक्स लिमिटेड एम्पलाईज यूनियन के नेतृत्व में संगठित मजदूरों को दबाने के लिए मैनेजमेंन्ट ने योजनाबद्ध ढंग से हमले किए। ७ जून १९७३ को सी० आर० पी० ने कारखाने पर धावा बोला एवं यूनियन के महामंत्री अरविन्द कुमार सहित ७० मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया। मजदूरों द्वारा चलाई गई १२५ दिन की पुरानी ऐतिहासिक हड़ताल के सिलसिले में मैनेज़मेंट ने मुअत्तली चार्जशीट इत्यादि के रूप में मजदूरों पर व्यापक रूप से हमला शुरू किया। फरवरी १९७४में सी० आई० टी० यू० नेता एस० बी० भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया गया।

जे० के० मिल्स कानपुर में मजदूरों द्वारा ८५ दिन व्यापी सफल हड़ताल के बाद १३ अप्रैल १९७४ को मैनेजमेंट ने पंचायत यूनियन की कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों को बर्खास्त कर दिया। मिल के अन्य २५०० मजदूरों को भी बर्खास्त करने के आदेश जारी किये। १२ नवम्बर १९७४ को सी० आई० टी० यू० के आह्वान पर गाजियाबाद के १२ इन्जीनियरिंग कारखानों के ५०० मजदूरों ने जब १ दिन की सफल हड़ताल का आयोजन किया, तो पुलिस ने मजदूरों का नृशंस दमन किया एवं दो सी० आई० टी० यू० नेताओं का० भारद्वाज एवं बलवीर सिंह को डी० आई० आर० में गिरफ्तार कर लिया।

मध्य प्रदेश

अप्रैल १९७३ में बांकी एवं सुराकछार कोलियरी के कई सी० आई० टी० यू० कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने १४४ धारा ज़ारी कर दी तथा सी० आई० टी० यू० के १६ स्थानीय कर्मियों को गिरफ्तार कर बुरी तरह पीटा। पुनः २५ अप्रैल को एक प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे अनेक सी० आई० टी० यू०

कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार किया गया। नागदा में ग्रेसिम के मैनेजमेंट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे मजदूरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।

हरियाणा

फरीदाबाद के उषा स्पिनिंग मिल्स के १६०० मजदूर जो पहले ए०आई०टी०यू०सी० से संबद्ध थे, सूती मिल मजदूर यूनियन (सी० आई० टी०यू०) से जुड़े एवं १२ नवम्बर को मंहगाई भत्ता, बोनस इत्यादि माँगों के समर्थन में हड़ताल की। पुलिस ने मजदूरों पर बर्बर जुल्म ढाया तथा सी० आई० टी० यू० नेता का० बलदेव सिंह जब १६ अन्य मजदूरों के साथ समझौते की बातचीत के लिए गए, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मैनेजमेंट के भाड़े के कुछ गुण्डों एवं ए० आई० टी० यू० सी० के लोगों ने भी मजदूरों पर हमले किये।

हिमाचल प्रदेश

२५ अगस्त १९७३ को पटेल इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन (सी० आई० टी० यू०) के अध्यक्ष का० एस० के० तिवारी जब कचहरी को जा रहे थे, तो पुलिस ने उनका अपहरण कर लिया। इसी वर्ष १३ नवम्बर को पुलिस ने उन्हें बुरी तरह पीटा। पुनः २५ नवम्बर १९७३ को मजदूरों के एक प्रदर्शन पर पुलिस ने जब नृशंस लाठी वर्षा की तो पटेल इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन का एक मजदूर मारा गया एवं अनेक घायल हुए। यूनियन के साधारण सचिव सुचासिंह को छुरे से घायल कर दिया गया तथा यूनियन के सह-सभापति शिवराज सहित अनेक सी०आई०टी०यू० कार्यकर्त्ताओं को पीटा गया।

दिल्ली

दिल्ली के कई उद्योगों के व्यवस्थापक, पुलिस एवं प्रशासन की सहायता से सी० आई० टी० यू० के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एक साथ आक्रमण कर रहे हैं।

ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ताओं, विशेषकर होटलों, इंजीनियरिंग कारखानों, कोकाकोला आदि के सी० आई० टी० यू० के नेताओं एवं कार्यकर्त्ताओं पर भाड़े के गुण्डे एवं पुलिस, बार बार आक्रमण कर रहे हैं। २१ सितम्बर १९७४ को स्टेट्समैन एम्पलाईज यूनियन

की एक सभा को बंद करने में असफलता के बाद मैनेजमेंट के भाड़े के गुण्डों ने यूनियन के नेताओं एवं सदस्यों पर बर्बर हमला किया।

तमिलनाडु :

१९७३ के जुलाई महीने में राज्य सी० आई० टी० यू० के नेता एवं सिम्पसन वर्कर्स यूनियन के उपाध्यक्ष जब मजदूरों की एक सभा में जा रहे थे, तो डी० एम० के० गुन्डों ने उन्हें छुरे से घायल कर दिया। हड़ताल-तोड़क दलालों की मदद से रेल गाड़ियों के चलाने के प्रतिवाद में मदुराई के एक सी० आई० टी० यू० कार्यकर्ता का० रामास्वामी जब रेलपथ पर पर धरना दे रहे थे तो एक पाइलट इंजिन ने उन्हें जान बूझकर कुचल दिया। जुलाई १९७४ में मदुराई हैन्डलूम मजदूर हड़ताल पर थे, तब सी० आई० टी० यू० नेताओं का० ए० बालकृष्णन् तथा कृष्णमूर्ति को पुलिस ने बुरी तरह पीटा एवं गिरफ्तार किया। बाद में उन्हें बहुत ही बुरी अवस्था में दाखिल करना पड़ा।

आसाम

आसाम में ट्रेड यूनियन आंदोलन बहुत मजबूत नहीं है। फिर भी ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं का दमन लगातार हो रहा है। **२२ मई १९७४ को मजदूरों की एक सभा मे भाषण देने के पश्चात** राज्य सी० आई० टी० यू० के सचिव का० अमल घोष दस्तीदार जब वापस लौट रहे थे, तो उन्हें मीसा के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। शासक पार्टी एवं मैनेजमेंन्ट के भाड़े के गुन्डों का सी० आई० टी० यू० यूनियनों एवं कार्यकर्ताओं पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं।